राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

परिशोधन प्रार्थना–पत्र संख्या–76/2014/जयपुर.
(सम्बन्धित अपील संख्या–955/2007/जयपुर)

सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, वृत–द्वितीय, जयपुर. .....अपीलार्थी (अप्रार्थी).

बनाम

मैसर्स कोडेक इण्डिया लिमिटेड, जयपुरत्र .....प्रत्यर्थी (प्रार्थी).

खण्डपीठ
श्री राजीव चौधरी, सदस्य
श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री विक्रम गोगरा, अभिभाषक .....प्रार्थी की ओर से.

श्री एन. के. बैद,
उप–राजकीय अभिभाषक .....अप्रार्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 21/06/2018

निर्णय

1. यह परिशोधन प्रार्थना–पत्र प्रार्थी (प्रत्यर्थी) मैसर्स कोडेक इण्डिया लिमिटेड, जयपुर द्वारा राजस्थान कर बोर्ड की अपील संख्या 955/2007/जयपुर में खण्डपीठ द्वारा पारित किये गये निर्णय दिनांक 18.03.2014 में संशोधन हेतु प्रस्तुत किया गया है। कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा दिये गये निर्णय में व्यवहारी की ओर से निम्न त्रुटियां होना दर्शाया गया है :–

(1) कि अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 14.06.2006 में व्यवहारी के पक्ष में यह निर्णय किया था कि Tax Free services रूपये 73000/– पर करदेयता नहीं है परन्तु राजस्व की ओर से इस बिन्दु पर कर बोर्ड में की गई अपील में कोई निर्णय नहीं दिया गया, जो त्रुटि होने से इस पर निर्णय दिया जावे।

(2) कि X-ray chemical रूपये 3,62,692/– पर करदयेता के सम्बन्ध में भी कोई निर्णय नहीं दिया गया जबकि अपीलीय अधिकारी ने व्यवहारी के पक्ष में निर्णय दिया था एवं राजस्व ने उस बिन्दु पर अपील प्रस्तुत की थी परन्तु कर बोर्ड में इस बिन्दु का निर्णय में उल्लेख नहीं किया गया अतः यह त्रुटि है इसलिए इस पर निर्णय दिया जावे।

(3) कि कर बोर्ड ने पूर्व में इसी प्रकरण में प्रथम बार Provisional Assessment order के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में जो दिनांक 28.10.2004 को निर्णय, X-Ray film के लिये दिया था वही निर्णय पुनः final order के विरूद्ध उक्त प्रस्तुत अपील में उसी आदेश दिनांक 28.10.2014 का अनुकरण करते हुए दिया गया है जबकि Provisional order के विरूद्ध प्रस्तुत रिवीजन में माननीय

लगातार.....2

राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिनांक 15.12.200 को दिया था कि final order हो जाने से Provisional order पर दिये गये निर्णय infructuous है जिससे कर बोर्ड का आदेश दिनांक 28.10.2004 भी infructuous हो गया है परन्तु फिर दिनांक 28.10.2004 का ही अनुकरण करना माना है वह त्रुटिपूर्ण है।

(4) कि कर बोर्ड के निर्णय दिनांक 28.10.2004 में Angiography films का कोई बिन्दु नहीं था परन्तु इस बिन्दु पर भी कर बोर्ड ने 28.10.2004 का अनुकरण किया है जो त्रुटिपूर्ण है।

(5) कि रूपये 20,50,732/– के क्रेडिट नोट को अपीलीय अधिकारी ने स्वीकार किया था उसे बिना किसी विपरीत साक्ष्य के अपास्त किया है वह भी त्रुटिपूर्ण है।

(6) कि कर बोर्ड में प्रस्तुत अपील में X-ray film के बारे में expert report पेश की थी उस पर ध्यान नहीं देकर अन्य films को X-ray films से भिन्न माना है वह भी त्रुटिपूर्ण है अतः आदेश में संशोधन किया जावे।

2. व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने उक्त लिखित बिन्दुओं को दोहराते हुए कर बोर्ड के आदेश दिनांक 18.3.2014 में संशोधन की प्रार्थना की।

3. राजस्व की ओर से कर बोर्ड के आदेश को त्रुटिविहिन बताते हुए कथन किया कि आदेश दिनांक 18.03.2014 पूर्ण विवेचन के साथ पारित होने एवं उक्त आदेश में कोई त्रुटि नहीं होने से विवेचित आदेश के निर्णयों में परिवर्तन करना rectification के purview में नहीं आता है बल्कि यह review होगा, जो अनुमत नहीं है अतः संशोधन प्रार्थना–पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

4. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी। कर बोर्ड के आदेश का अध्ययन, व्यवहारी द्वारा दर्शाई गई त्रुटियों के सन्दर्भ में किया गया।

5. यह उल्लेखनीय है कि कर निर्धारण अधिकारी के आदेश के विरूद्ध व्यवहारी द्वारा ने अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई अपील के निर्णय में रूपये 73,000/– की करमुक्त सेवाओं पर किये गये करारोपण को निरस्त किया था एवं X-Ray chemical रूपये 3,62,692/– के करारोपण में भी अपील स्वीकार कर आरोपित 2 प्रतिशत अन्तर कर, ब्याज व शास्ति को अपास्त किया गया था। इसी तरह Sonography films, MRI Films, C.T. Scan Films को X-ray films से भिन्न मानते हुए कर निर्धारण अधिकारी के आदेश को अपास्त कर इसे X-ray films के लिये निर्धारित दर 8 प्रतिशत से कर योग्य मानकर अन्तर कर, ब्याज एवं शास्ति को अपास्त किया गया था। इसके अलावा credit notes

लगातार.....3

पर आरोपित कर ब्याज को अपास्त किया था। इस तरह व्यवहारी की अपील को अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रत्येक बिन्दु पर स्वीकार किया गया था जिसके विरूद्ध राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील में कर बोर्ड के समक्ष केवल तीन बिन्दु ही विवादित किये थे, अतः उन्हीं बिन्दुओं पर कर बोर्ड ने निर्णय दिया है, अवशेष दो बिन्दुओं के सम्बन्ध में राजस्व की ओर से कर बोर्ड के समक्ष ना तो बहस की गई एवं ना ही कोई तर्क किये गये थे। ऐसी स्थिति में कर बोर्ड द्वारा उन बिन्दुओं पर कोई निर्णय देने की आवश्यकता ही नहीं थी। अतः रूपये 73,000/— के करमुक्त माल पर करारोपण एवं रूपये 3,62,000/— के केमिकल पर आरोपित कर के बिन्दु पर कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया। यह भी उल्लेखनीय है कि राजस्व द्वारा इन बिन्दुओं पर कोई संशोधन भी नहीं चाहा। अतः व्यवहारी के पक्ष में किये गये अपीलीय निर्णय पर कर बोर्ड का निर्णय नहीं होने को त्रुटि बताना सारहीन तर्क है, अतः इन दोनों बिन्दुओं पर संशोधन प्रार्थना—पत्र खारिज किया जाता है।

6. कर बोर्ड द्वारा Sonography films, MRI Films, C.T. Scan Films को X-ray films नहीं मानने का जो निर्णय दिया है वह उस विवेचना को मानते हुए दिया गया है जो इसी व्यवहारी के प्रकरण में Provisional order के विरूद्ध दिये गये निर्णय दिनांक 28.10.2004 में विवेचना की थी। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने Provisional order के विरूद्ध प्रस्तुत रिवीजन को इस आधार पर सारहीन मानते हुए खारिज किया था कि तब तक final assessment order हो गया था। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने कर दर सम्बन्धी बिन्दु पर विधिक विवाद पर दिये गये कर बोर्ड के निर्णय को समाप्त नहीं किया था एवं स्वयं व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने भी बहस के दौरान यह बता दिया है कि final order के विरूद्ध कर बोर्ड के निर्णय के विरूद्ध इस बिन्दु पर भी माननीय उच्च न्यायालय में रिवीजन लम्बित है। उक्तानुसार कर बोर्ड के विवेचित विधिक बिन्दु पर किये गये निर्णय में पुनः निर्णय करना review की श्रेणी में आता है जो अधिनियम की धारा 37 के Rectification के प्रावधान में अनुमत नहीं है फलतः इस बिन्दु पर भी संशोधन प्रार्थना—पत्र खारिज किया जाता है। इसी तरह क्रेडिट नोट के मामले में भी कर बोर्ड द्वारा सुविचारित निर्णय दिया गया है कि क्रेडिट नोट की असल प्रतियां पेश करने पर इसका लाभ दिया जावे एवं छायाप्रतियों का साक्ष्य नहीं माना है। इस बिन्दु पर दिये गय निर्णय में भी कोई त्रुटि नहीं है बल्कि व्यवहारी का यह कथन अविधिक है कि क्रेडिट नोट की छायाप्रतियों के आधार पर लाभ दिया जावे, फलतः इस बिन्दु पर भी संशोधन आवेदन अस्वीकार किया जाता है।

लगातार.....4

7. परिणामस्वरूप प्रार्थी व्यवहारी (प्रत्यर्थी) द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रार्थना–पत्र उक्तानुसार अस्वीकार किया जाता है।

8. निर्णय सुनाया गया।

21/06/18

(के. एल. जैन)
सदस्य

(राजीव चौधरी)
सदस्य